कार्यालय, कलेक्टर जिला खण्डवा, एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक /133/2015/एलए/ 446 खण्डवा, दिनांक 17/12/2015

प्रति,

नियंत्रक,
केन्द्रीय मुद्रणालय
म.प्र. भोपाल

विषय :— सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट के संबंध में अधिूसचना।

——00——

एनटीपीसी लिमिटेड की खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना में कोयला आपूर्ति के लिए प्रस्तावित रेल पथ के निर्माण हेतु ग्राम खेडीबुजुर्ग तहसील पुनासा जिला खण्डवा निजी भूमि को सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट के संबंध में जारी अधिसूचना की दो प्रतियां संलग्न है।

अतः कृपया उक्त अधिसूचना का आगामी प्रकाशित होने वाले राजपत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्न :— 02 प्रतियां।

(डॉ0 एम0के0अग्रवाल)
कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
म0प्र0शासन, राजस्व विभाग,
जिला खण्डवा (म0प्र0)

पृ0/ क्रमांक /133/2015/एलए/2015 खण्डवा, दिनांक 17/12/2015

प्रतिलिपि :—

1— संचालक, जन संपर्क संचालनालय म0प्र0 की ओर अधिसूचना की चार प्रतियॉ संलग्न कर इस क्षेत्र में पढे जाने वाले दो बहु प्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2— जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर संलग्न अधिसूचना को समुचित सरकार की वेबसाईड पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित ।

3— अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू—अर्जन अधिकारी, पुनासा की ओर दो प्रति में सूचनार्थ एवं उनके सूचना फलक पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।

4— नायब तहसीलदार, मांधाता, की ओर 06 प्रतियॉ संलग्न कर एक प्रति स्वयं के कार्यालय के सूचना फलक, उक्त अधिसूचना का प्रकाशन उपखंड कार्यालय/तहसील/जनपद पंचायत कार्यालय, संबंधित ग्राम एवं ग्राम पंचायत के सूचनापटल पर चस्पा किया जाकर तामिली इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रेषित ।

5— महाप्रबंधक एनटीपीसी खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

6— जिला नाजिर कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर जिला कार्यालय के सूचना फलक पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित ।

(डॉ0 एम0के0अग्रवाल)
कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
म0प्र0शासन, राजस्व विभाग,
जिला खण्डवा (म0प्र0)

कार्यालय, कलेक्टर जिला खण्डवा, एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक /भू–अर्जन/2015 4414 खण्डवा, दिनांक 18/12/2015

प्रति,

आयुक्त महोदय,
जनसंपर्क विभाग,
म.प्र. भोपाल

विषय :— सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट के संबंध में अधिूसचना।

——00——

एनटीपीसी लिमिटेड की खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना में कोयला आपूर्ति के लिए प्रस्तावित रेल पथ के निर्माण हेतु जिला खण्डवा की तहसील पुनासा टप्पा– मांधाता के एक ग्राम की निजी भूमि को सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट के संबंध में जारी अधिसूचना की चार प्रतियां संलग्न है।

अतः कृपया उक्त अधिसूचना को दो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्न :— 04 प्रतियां।

कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग,
जिला खण्डवा (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक /भू–अर्जन/2015 4415 खण्डवा, दिनांक 18/12/2015

प्रतिलिपि :—

1— जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर संलग्न अधिसूचना को समुचित सरकार की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

2— नायब तहसीलदार, टप्पा– मांधाता, तहसील पुनासा की ओर प्रेषित। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन उपखंड कार्यालय/तहसील/जनपद पंचायत कार्यालय, संबंधित ग्राम एवं ग्राम पंचायत के सूचनापटल पर चस्पा किया जाकर तामिली इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध करावें।

3— महाप्रबंधक एनटीपीसी खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4— माल जमादार कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर नोटिसबोर्ड पर चस्पा हेतु।

कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग,
जिला खण्डवा (म.प्र.)

कलेक्टर एवं समुचित सरकार
कलेक्टर एवं समुचित सरकार

कार्यालय, कलेक्टर जिला खण्डवा, एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नस्ती कमाक 133/2015एलए

कमांक /133/2015/एलए/ 450 खण्डवा, दिनांक 13/12/2015

:: अधिसूचना ::

महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन, द्वारा पत्र कमांक/एनटीपीसी/ /दिनांक10.12.2014 एवं पत्र कमांक/खरगोन / एनटीपीसी / 2015/ /दिनांक 14/12/2015 द्वारा जिला खरगोन की तहसील सनावद के ग्राम सेल्दा, डालची में स्थापित की जा रही (660x2) मेगावाट की वृहद ताप विद्युत परियोजना में कोयला आपूर्ति के लिए प्रस्तावित रेल पथ निर्माण हेतु अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) के अध्याय –2 (अ) धारा–4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप. कमांक एफ–16–15(1)/2014 –सात–2ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं **डॉ.एम.के.अग्रवाल, कलेक्टर जिला खण्डवा एव समुचित सरकार म.प्र.शासन,** विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश कमांक 9/2014 के बिन्दु , 10–ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय–2(अ) धारा–4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :–

अ. कं.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे.में)	सार्वजनिक प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	टप्पा–मांधाता, तहसील–पुनासा	11	खेड़ी बुजुर्ग	9.223	खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना में कोयला आपूर्ति के लिए प्रस्तावित रेल पथ निर्माण हेतु।
				योग	**9.223**	

नोट :–1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृध्दि संभावित है।
2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू–अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(डॉ0एम0के0अग्रवाल)
कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
म0प्र0शासन, राजस्व विभाग,
जिला खण्डवा (म0प्र0)

कार्यालय, कलेक्टर जिला खण्डवा, एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नस्ती कमाक 133/2015एलए

//प्रारंभिक अधिससूचना//

[भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

(कमांक–30 सन् 2013) की धारा 11(1) के अन्तर्गत]

कमांक/ 445 /भू–अर्जन/2015 खण्डवा, दिनांक 1?/1/2016

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, खानें 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके व्दारा अनुसूची(1) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सबंध में उक्त धारा–12 व्दारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित वृहद ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है। अधिनियम के अध्याय–2(अ) की धारा–4 – सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छुट प्रदान की गयी है। जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है इस कारण से धारा–11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नही है।

–: अनुसूची (1) :–

जिला	तहसील	ग्राम/ नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
खण्डवा	टप्पा–मांधाता तहसील पुनासा	खेड़ी बुजुर्ग	9.223	महाप्रबंधक (परियोजना) एनटीपीसी खरगोन	खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल्वे पथ के निर्माण हेतु

–: अनुसूची (2) :–

रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत. ग्राम– खेड़ी बुजुर्ग की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)
1	2
12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 13/4, 16/1, 17, 18/5, 28, 33, 35/1, 36/1, 41/1, 42/1, 42/2, 42/3, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 44/1, 44/2, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 58, 59, 64, 65/1, 65/2, 66/1, 66/2 ,206/1, 316	9.223
योग :– 38	9.223

नोटः–

1. भूमि का नक्शा(प्लान) अनुविभागीय अधिकारी,(राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी पुनासा एवं महाप्रबंधक, परियोजना एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

(डॉ0 एम0के0अग्रवाल)
कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
म0प्र0शासन, राजस्व विभाग ,
जिला खण्डवा (म0प्र0)